जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 29-11-2022

आज दिनांक 29.11.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कमार** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा जानमाल की धमकी के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री राजीव कुमार यादव** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 326 / 2022 धारा 363 / 366 / 504 / 506 भादवि के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता सुरेन्द्र पुत्र चिग्गा उर्फ चन्द्र प्रकाश निवासी भानपुरमाफी थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था उलहना देने पर वादिनी को जानमाल की धमकी दी गयी थी जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 29.11.2022 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, का0 रोहित सिंह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1493 द्वारा दो पक्षों के बीच मारपीट / विवाद में घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल -</u> पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत लेड़ुआ-महुली से इवेन्ट संख्या 06772 से कालर ने विवाद / मारपीट में 03 व्यक्ति नाम पता (1 – धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 मुरारी, 2 – गुड़िया पुत्र श्रीलाल, 3 – सरिता पुत्री श्रीलाल निवासी लेड़ुआ-महुली जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारीपट में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के संबंध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थनीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी हरिओम यादव, आरक्षी शमशेर अली, आ0चा0 विश्वग्रहण।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 125 वाहनो से 1,15,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.11.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 125 वाहनों से 1,15,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।